

बालिका सशक्तीकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं उनकी समीक्षा



दीपिका गुप्ता

शोध छात्रा (समाजशास्त्र)

शा० ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा,
मध्यप्रदेश, भारत।

सारांश

वर्तमान भारत बेहद तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। इसके बावजूद यह विडंबना ही है कि हमारे देश को आजादी मिले 72 वर्ष बीतने के बाद भी आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की हालत को अब भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। महानगरों में अपने आसपास हम महिलाओं को बेहद सशक्त देखते हैं और वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर होड़ करती भी दिखती हैं। लेकिन छोटे शहरों, कस्बों या गांवों का रुख करते ही हालात एकदम उलट दिखाई देती है। यहां महिलाओं के पास न तो आर्थिक आजादी नजर आती है और न ही सामाजिक बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे वाकिफ नहीं है। पिछली केन्द्र सरकारों और राज्य सरकारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई थीं। लेकिन 2011 की जनगणना में लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगा है। शायद इसीलिए वर्तमान केन्द्र सरकार इस मोर्चे पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। उसने 'मिशन इंद्रधनुष' जैसी याजनाओं के जरिये नवजात कन्याओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को गंभीर बनाने की कोशिश की है और आर्थिक कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी चलाई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना लड़कियों की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकती है और रोजगार की विभिन्न योजनाएं भी बालिकाओं/महिलाओं का सशक्तीकरण कर सकती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र बालिका सशक्तीकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं उनकी समीक्षा पर आधारित है।

पारिभाषिक शब्द : बालिका सशक्तीकरण, कस्बा या गाँव, सामाजिक बंधन, मील का पत्थर।

मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है। वह समाज के अन्य लोगों के साथ अन्तःक्रिया करता है। जो समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता।¹ अरस्तू का यह कथन व्यक्ति की न केवल सामाजिक प्रकृति को दर्शाता है, बल्कि व्यक्ति के समाज के साथ पारस्परिक समतापूर्ण व्यवहार की भी अपेक्षा रखता है।

पिछली सदी में समाज के एक बड़े वर्ग में यह एक विभीषिका ही थी कि परिवार की धूरी होते हुए भी नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं था, जिसकी वह अधिकारिणी थी। इसका मुख्य कारण सदियों से चली आ रही कुरीतियां,

अंध विश्वास व बालिका शिक्षा के प्रति संकीर्णता था। पिछले डेढ़ दशक से बालिका /महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता रहा है। बालिका/महिला सशक्तिकरण शैक्षिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में जागृति व आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।²

थामसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा कराये गये सर्वेक्षण (2018) में जी-20 देशों में महिलाओं की स्थिति की पड़ताल की गई थी जिसमें भारत में महिलाएं सबसे बुरी स्थिति में पाई गई। हव तो यह है कि सऊदी अरब जैसा रुढ़िवादी देश भी इस मामले में भारत से बेहतर निकला। विश्व आर्थिक मंच के लिये लिंग भेद सूचकांक 2018 में भारत 149 देशों में 108वें स्थान पर दिखता है। रोजगार का मामला आता है तो यह भेद और भी ज्यादा दिखता है और गांव-शहर में कमोबेश हर जगह महिलाएं मोटे तौर पर दोयम दर्जे की ही मानी जाती है। “राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक गांवों में केवल 30 फीसदी महिलाओं को ही रोजगार मिला है जबकि शहरों में यह आंकड़ा 20 फीसदी पर ही सिमट गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा।³ लेकिन अक्सर हम इस भेदभाव या पिछड़ेपन की मूल वजह और उससे निपटने के उपायों पर नजर डालने से परहेज करते हैं। इसकी मूल वजह जनगणना के आंकड़ों में बखूबी नजर आती है, जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों में प्रत्येक 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 945 थी लेकिन 2011 की जनगणना में आंकड़ा 918 पर ही ठहर गया।⁴ यह कोई छोटी समस्या नहीं है। इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या या लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जैसे चिंताजनक प्रचलन ही असली कारण हो सकते हैं। इससे निपटने का तरीका भी एक ही है लड़कियों को दोयम दर्जे का मानने की मानसिकता खत्म करना। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे वाकिफ नहीं है। पिछली केन्द्र सरकारों और राज्य सरकारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई थी। लेकिन 2011 की जनगणना में लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। शायद इसीलिए वर्तमान केन्द्र सरकार इस मोर्च पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। उसने ‘मिशन इंद्रधनुष’ जैसी योजनाओं के जरिये नवजात कन्याओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को गंभीर बनाने की कोशिश की है और आर्थिक कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी चलाई हैं।⁵ प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई ‘बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं’ योजना लड़कियों की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकती है और उनके रोजगार की विभिन्न योजनाएं भी बालिकाओं/महिलाओं का सशक्तीकरण कर सकती हैं।

केन्द्र सरकार की इन योजनाओं को अधोलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है यथा—

- (1) सामाजिक योजनाएँ
- (2) शैक्षिक योजनाएं
- (3) आर्थिक योजनाएं

सामाजिक योजनाएं— जन्म से लेकर उनके वयस्क होने तक लड़कियों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलायी हैं। सरकार ने एकीकृत, बाल विकास योजना के तहत बालिकाओं पर अधिक जोर दिया है। साथ ही सभी बच्चों के अनिवार्य टीकाकरण के लिए आरंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष में भी लड़कियों को विशेष रूप से शामिल किया है ताकि उनके स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो सके।

स्वीकृत बाल विकास योजना बच्चों के स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास के लिए है। यह योजना वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। इस योजना में औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और यह भी देखा जाता है कि बच्चे कुपोषण, बीमारियों और मानसिक क्षमता में कमी से ग्रस्त न हों। इसमें छह वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर नजर रखी जाती है। बच्चे इस योजना के तहत साल में 300 दिन तक पूरक आहार प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे गंभीर कुपोषणग्रस्त होते हैं, उन्हें विशेष पोषाहार पर रखा जाता है। बालिकाओं के लिहाज से यह योजना खास महत्व वाली है क्योंकि आमतौर पर उन्हीं में कुपोषण या रक्ताल्पता की शिकायत अधिक देखी जाती है। बालिकाओं को समाज के कई तबकों में नजर अंदाज कर दिया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जो विशेष रूप से बालिकाओं के सामाजिक उत्थान के लिये ही बनाई गयी हैं, यथा—

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला)— वर्ष 2010–11 में सरकार ने इस योजना की शुरूआत की, जो किशोरियों के लिहाज से बेहद अहम है। इस योजना को चलाने का जिम्मा राज्य सरकारों का है, लेकिन इसके लिए पूरी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। इसका बड़ा मकसद किशोरियों को कुपोषण से बचाना है ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके तथा आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ हों। इसके तहत 11 से 18 साल की सभी लड़कियों को पोषक आहार प्रदान कराया जाता है और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों पर अधिक जोर दिया जाता है।

उज्ज्वला योजना— अवैध मानव तस्करी दुनिया भर में बहुत बड़ी समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां लड़कियां भी इसमें फंसी दिखती हैं। अक्सर पारिवारिक बाध्यताओं के कारण उन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करते देखा जाता है और कई बार उन्हें जबरन काम भी करना पड़ता है। सबसे दयनीय हालत उनकी होती है, जिन्हें बांग्लादेश, नेपाल से और भारत के पिछड़े गरीब तथा आदिवासी इलाकों से रोजगार के बहाने महानगरों में लाकर देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। समस्या यह है कि ये लड़कियां अगर इससे मुक्ति पा लेती हैं तो भी समाज में उन्हें अपनाने वाले मुश्किल से मिलते हैं। इन्हीं के लिए सरकार ने दिसंबर, 2007 में उज्ज्वला योजना आरंभ की है।

स्वाधार गृह योजना— मुसीबत में फंसी लड़कियों और महिलाओं का आश्रय देने के लिए केंद्र सरकार की यह योजना पिछले लगभग 15 वर्षों से चल रही है। इसमें बेसहारा महिलाएं तो शामिल होती ही हैं, वे लड़कियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें वेश्यालयों या बालश्रम से मुक्त कराया जाता है और जिनके परिवार उन्हें वापस अपनाने से इंकार कर देते हैं। ऐसी लड़कियों को खतरे से बचाना और बेहतर जिंदगी दिलाना ही इस योजना का उद्देश्य है।

इस योजना में लड़कियों को भोजन, आवास, कपड़े और चिकित्सा जैसी सुविधाएं तो मिलती ही है, उन्हें रोजगार करने के लायक बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

सामाजिक योजनाएं कितनी प्रभावी— सरकार की सामाजिक योजनाएं बेशक अपना असर दिखा रही हैं और उनसे लड़कियों के सामाजिक दर्जे में इजाफा भी हो रहा है। स्वीकृत बाल विकास योजना के कारण लड़कियों में भी कुपोषण की स्थिति कम हो रही है और सबला के जरिये उन्हें स्कूलों में भी पोषाहार मिल रहा है, जो उनके विकास में सहायक हो रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में लड़कियों का दखल भी इन योजनाओं के कारण ही बढ़ रहा है। लेकिन अभी इसमें काफी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि सामाजिक रवैये में तब्दीली ज्यादा अहम है। कई वर्गों में अब भी लड़कियों को दोयम दर्जे का ही माना जाता है और अध्ययन बताते हैं कि ऐसा केवल गरीब परिवारों या गांवों में नहीं है बल्कि सम्पन्न परिवार भी लड़कों और लड़कियों में भेद करते हैं।¹⁴ इस नजरिये को सुधारने के लिए सरकार को अलग रणनीतियां अपनानी होंगी।

शैक्षिक योजनाएं— लड़कियों की शिक्षा के मामले में देश अब भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या भी बहुत अधिक है और केरल तथा गुजरात जैसे समृद्ध कहलाने वाले राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे हैं।¹⁵ इससे निपटने के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और इसके लिए केवल सर्व शिक्षा अभियान से काम नहीं चल सकता। केंद्र सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसलिए कुछ विशेष योजनाओं पर कार्य चल रहा है। यथा—

'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ' योजना— केन्द्र सरकार की इस योजना में लड़कियों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान की रणनीति निहित है। घटते लिंगानुपात से निपटने के लिए सरकार ने इस योजना को आरंभ में 100 संवेदनशील जिलों में लागू किया है, जहां लिंगानुपात बहुत कम है। इसके तहत कुछ विशेष समुदायों या वर्गों में लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह समाप्त करने और लड़कियों के जीवन, सुरक्षा तथा शिक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय— अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन सामाजिक बुनावट और दूसरी रुद्धियों के कारण इन वर्गों की लड़कियों कई बार शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और कई बार उनके आसपास शिक्षा ग्रहण करने के साधन ही नहीं होते। उन्हें तथा अन्य पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इसमें उन इलाकों की लड़कियों को रिहायशी सुविधा के साथ शिक्षा मुहैया कराई जाती है, जिनके घरों के आसपास स्कूल नहीं होते। सरकार का मकसद है कि स्कूल की सुविधाएं दूर होने के कारण लड़कियां स्कूली शिक्षा छोड़ने का फैसला न करें और वंचित वर्गों की लड़कियों को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।

शैक्षिक योजनाएं कितनी प्रभावी— शिक्षा की तमाम योजनाएं अपना असर तो दिखा रही है और उनसे जागरूकता भी बढ़ती दिख रही है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में

करीब एक चौथाई स्कूलों में अभी तक शौचालय भी नहीं है। जाहिर है कि ग्रामीण इलाकों में यह देखकर माता-पिता लड़कियों को स्कूल जाने से रोक देते होंगे। बेशक प्रधानमंत्री जी के आहवान पर स्कूलों में शौचालयों का निर्माण तेज किया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें लंबा समय लगेगा। शिक्षकों की संख्या में काफी कमी भी है क्योंकि आठवीं कक्षा तक करीब 50 विद्यार्थियों पर एक ही शिक्षक है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ना लाजिमी है। शिक्षकों को कई बार लैंगिक संवेदनशीलता भी नहीं सिखाई जाती है, जिसकी गाज लड़कियों पर गिरती है और उन्हें स्कूल जाने से वंचित होना पड़ता है।¹⁰

इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सबसे पहले स्कूलों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यदि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएं तो हालात काफी सुधर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे और शिक्षकों को लड़कियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करना होगा।

आर्थिक योजनाएं— तमाम तरह की प्रगति हो जाने के बाद भी भारत के कई हिस्सों और समुदायों में बालिकाओं के आर्थिक उत्थान के बारे में नहीं सोचा जाता। अब भी ढेरों परिवार ऐसे हैं जहां लड़की के जन्म के बाद ही उसके विवाह की चिंता माता-पिता को सताने लगती है। ऐसे में वे उसे रोजगार हासिल करने के लायक प्रशिक्षण देने या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बेशक देश में नौकरीपेशा लड़कियों और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब भी यह प्रचलन आमतौर पर महानगरों या बड़े शहरों में ही देखा जा रहा है। छोटे शहरों में अभी तक लड़कियां अनौपचारिक रोजगार में ही जुटी दिखती हैं और विवाह के बाद अक्सर उसको भी छोड़ देती हैं। ऐसे में सुकन्या समृद्धि, धनलक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी और स्टेप जैसी कुछ योजनाएं हैं, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं।

सुकन्या समृद्धि— यूं तो भारत में विभिन्न प्रकार की नकद प्रोत्साहन योजनाएं चलती रही हैं और बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन सरकार की सुकन्या समृद्धि इस मामले में सबसे महत्वाकांक्षी और विराट योजना है, जिसे हाथोहाथ लिया भी जा रहा है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर दस वर्ष के भीतर बैंकों और डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोलना होता है। खाते में शुरुआती पांच साल तक सरकार हर साल 1,000 रुपये डालेंगी। लड़की के माता-पिता को इसमें साल में कम से कम 1,000 रुपये डालने हैं और अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये सालाना है।¹⁶

आर्थिक योजनाएं कितनी प्रभावी— सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन योजनाओं का समुचित प्रचार नहीं हो पाता है जिसके कारण अक्सर वे लड़कियां ही इनका लाभ उठा पाती हैं, जो स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहती है। उनके परिवार कई बार या तो इससे हिचकते हैं या इसके प्रति बेपरवाह रहते हैं। इसलिए सबसे पहले परिवारों को लड़कियों के आर्थिक स्वावलंबन की अहमियत और उसके लाभ बताना जरूरी है। इसके अलावा सरकार को इन कार्यक्रमों की निगरानी के भी समुचित प्रबंध करने होंगे क्योंकि कई बार योजनाएं लालफीताशाही में उलझ जाती हैं।

एक अहम बात यह भी है कि गांवों और कस्बों तक ये योजनाएं मुश्किल से ही पहुंचती हैं। पहुंचती भी हैं तो वहां सिलाई-कढ़ाई के प्रशिक्षण तक ही सीमित रहती हैं। गांवों में इनके नदारद होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियां भी या तो घरेलू कामों में लगी रहती हैं या खेती से जुड़े कामों में हाथ बंटाती रहती हैं। इसलिए उन स्थानों पर बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों वाली योजनाओं की आवश्यकता है।

स्वरोजगार के लिए धन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अक्सर लड़कियां प्रशिक्षण हासिल कर लेती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने उद्यम आरंभ नहीं कर पातीं। यदि उन्हें आर्थिक संसाधन मिल जाएं तो वे कारोबार आरंभ कर सकती हैं। इसलिए सरकार को ऐसी योजनाएं आरंभ करनी चाहिए, जिनमें प्रशिक्षण के उपरांत लड़कियों को वास्तविक कार्यक्षेत्र का अनुभव प्रदान किया जाए। उसके बाद उनसे उद्यम की रूपरेखा पूछी जाए और यदि उनके पासा व्यवहार्य कार्ययोजना हो तो उन्हें आसानी से ऋण या अनुदान मुहैया कराया जाए ताकि वे बैंकों के चक्कर लगाए बगैर अपना कारोबार आरंभ कर सकें। यदि इन सभी पहलुओं पर काम किया जाता है तो निश्चित ही बालिकाओं के रोजगार की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है। क्योंकि जब बालिकायें सशक्त होंगी तथी हमारा समाज भी सशक्त होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. प्रो० एम०एल० गुप्ता, डी०डी० शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन, पेज 116
2. Rajarshi Roy, Woman Education and Development, New Delhi, page 36
3. जनगणना, 2011, (अन्तिम आंकड़े), भारत सरकार।
4. पी०एन० प्रभू, हिन्दू सामाजिक संगठन, पेज—111
5. मासिक पत्रिका वनिता, सितम्बर, 2017, पेज 13
6. केन्द्रीय बजट, 2019–20, योजना एवं परियोजना।